न्यायालयः– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी III/निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2017/2986

1. अरविन्द पुत्र हरनाम सिंह रघुवशी
2. सुनील पुत्र श्रीराम रघुवंशी

निवासीगण ग्राम धतूरिया तहसील व जिला अशोकनगर म.प्र.

--- आवेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 28/08/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

गोविन्दा पुत्र गणेशा निवासी ग्राम धतूरिया तहसील व जिला अशोकनगर म.प्र.

--- अनावेदक

28.8.17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार महो. तहसील अशोकनगर जिला अशोकनगर के प्र.क. 06/2016–17/अ–70 में पारित आदेश दिनांक 25.08.2017 के बिरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

—2

माननीय महोदय,

आवेदकगणगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य :–

1. यह कि, अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महो. अशोकनगर के समक्ष भूमि सर्वे क. 25/2 रकवा 0.836 हे. के संबंध में आवेदन पत्र संहिता की धारा 250 के अधीन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्र.क.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशोकनगर/भू0रा0/17/ 2986

अरबिन्द विरूद्ध गोबिन्दा

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14/5/-18	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0पी0 धाकड़ उपस्थित। अनावेदक की ओर से श्री के0के0 द्विवीदी अधिवक्ता उपस्थित । 2- यह निगरानी तहसीलदार तहसील अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 06/अ-70/16-17 में पारित आदेश दिनांक 25.08.17 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रचालित प्रकरण क्रमांक तीन/ निग/ अशोकनगर /भू0रा0/2017/ 2085 अरबिन्द विरूद्ध गोबिन्दा में प्रश्नाधीन सीमांकन आदेश दिनांक 28.06.17 के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी संहिता की धारा 250 के तहत की गयी कार्यवाही आदेश दिनांक 25.08.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 3- प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से वहीं तथ्य प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां पुनरांकित कर दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं हैं किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।	

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशोकनगर/भू0रा0/17/ 2986

अरबिन्द विरूद्ध गोबिन्दा

अनावेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश विधि अनुसार जारी किया गया है जिसे स्थिर रखा जाकर निगरानी अग्राहय करने का अनुरोध किया गया।

3- प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों पर भी विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 25.08.17 की प्रमाणित प्रति का भी अवलोकन कर शूक्ष्मता से परीक्षण किया गया। प्रथमत: तो आवेदक अधिवक्ता द्वारा जिस प्रश्नाधीन आदेश को आक्षेपित किया गया है वह इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक तीन/ निग/ अशोकनगर /भू0रा0/2017/ 2085 अरबिन्द विरूद्ध गोबिन्दा में प्रश्नाधीन सीमांकन आदेश दिनांक 28.06.17 के अनुक्रम में संहिता की धारा 250 के तहत दिनांक 25.08.17 को जारी किया गया है जिसके द्वारा पटवारी से स्थल जांच रिपोर्ट लेने के आदेश दिए गये है। संहिता की धारा 250 के तहत की जा रही कार्यवाही के संबंध में यहां यह तथ्य विशेष विचारणीय है कि जब सीमांकन कार्यवाही दिनांक 28.06.17 ही विधि विरूद्ध होकर अधिकारिता वाहय कार्यवाही है तब ऐसी सीमांकन कार्यवाही के आधार पर संहिता की धारा 250 की कार्यवाही किसी भी स्थिति में प्रचलन योग्य नहीं मानी जा सकती। अत: इस न्यायालय

प्रकरण क्रमांक तीन/निग/अशोकनगर/भू0रा0/17/ 2986

अरबिन्द विरूद्ध गोबिन्दा

में प्रचालित प्रकरण क्रमांक तीन/ निग/ अशोकनगर /भू0रा0/2017/ 2085 अरबिन्द विरूद्ध गोबिन्दा में प्रश्नाधीन सीमांकन आदेश दिनांक 28.06.17 विधि अनुकूल न होने से निरस्त किया जाकर पुन: सीमांकन की कार्यवाही के आदेश दिए गये हैं तब ऐसी स्थिति में इस सीमांकन कार्यवाही को आधार मानकर की जा रही संहिता की धारा 250 की कार्यवाही आदेश दिनांक 25.08.17 स्थिर नहीं रखा जा सकता । प्रकरण क्रमांक तीन/ निग/ अशोकनगर /भू0रा0/2017/ 2085 अरबिन्द विरूद्ध गोबिन्दा में पारित ओदश भी इस आदेश का भाग होगा।

4- अत: उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वे पुन: बादग्रसत भूमि का सीमांकन कराकर आये निष्कर्षों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही करें। उपरोक्तानुसार यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापिस किया जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य